दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादकः सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 12 ▸ गाजियाबाद, दिसंबर, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

भारतीय मूल की सांसद नहीं लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव...

P-8

राज्यसभा में एसपीजी बिल पास, अमित शाह ने गिन-गिनकर दिए आरोपों के जवाब

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगलवार को एसपीजी संशोधन बिल 2019 पारित हो गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। न ही इसे राजनीतिक रंजिश की मंशा के साथ लाया गया है।

अमित शाह ने कहा कि यह सच नहीं है कि गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए हम एसपीजी बिल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल लाने से पहले ही खतरे की समीक्षा करने के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि कोई राजनीति हित नहीं और न ही किसी सुरक्षा में चूक होने देंगे। गांधी परिवार के साथ 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा का जिम्मा भाजपा के पास है।

एसपीजी एक्ट में पांचवां संशोधन

गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी एक्ट में यह पांचवां संशोधन है। यह संशोधन गांधी परिवार को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पिछले चार संशोधनों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है न कि किसी एक परिवार को ध्यान में रखकर।

हम परिवार के नहीं परिवारवाद के खिलाफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आखिर सिर्फ एसपीजी की मांग ही क्यों? एसपीजी कवर सिर्फ देश के मुखिया के लिए है, हम हर किसी को यह सुरक्षा नहीं दे सकते। हम किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं।

वाम दल को राजनीतिक द्वेष पर बोलने का हक नहीं

अमित शाह ने बिल पर बहस के दौरान वाम दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीपीआई (एम) को तो हक ही नहीं है ये कहने का कि राजनीतिक द्वेष से सरकार चल रही है। आपने इसी द्वेष से केरल में भाजपा के 120 कार्यकर्ता मार दिए। अमित शाह के बयान पर वाम दल के सदस्यों ने विरोध जताया।

गांधी परिवार की सुरक्षा में एसपीजी के ही पूर्व जवान

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा में वही जवान तैनात हैं, जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा, एसपीजी में बीएसएफ के 33 प्रतिशत, सीआरपीएफ से 33 से 34 प्रतिशत, सीआईएसएफ से 17 प्रतिशत, आईटीबीपी से 9 प्रतिशत और अन्य राज्यों की पुलिस से 1 प्रतिशत जवान हैं। पांच साल बाद इन्हें इनके संगठन में वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा में वहीं लोग लगाए गए हैं जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार को वही सुरक्षा मिली हुई है, जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास है।

11 वर्ष के बच्चे ने किया ऐसी बाइक का अविष्कार जो चलती है हवा से

नई दिल्ली। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इस बात को सच कर दिखाया है 11 वर्षीय अद्वैत क्षेत्री ने। अद्वैत ने इतनी कम उम्र में ऐसी बाइक का अविष्कार किया है, जो हवा से चलती है। सेंट कबीर अकादमी में कक्षा छह में पढ़ रहे अद्वैत ने प्रेस वार्ता में इस बाइक की जानकारी साझा की। उन्होंने अपनी बाइक का नाम अद्वैत–ओटू रखा है। हर्रावाला निवासी अद्वैत के पिता आदेश क्षेत्री ने बताया कि वह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अद्वैत ने बताया कि उनकी यह बाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित है। अद्वैत बताते हैं कि एक दिन वह गुब्बारे में हवा भर रहे थे। अचानक गुब्बारा हाथ से छूट गया और काफी ऊपर तक चला गया। यह देखकर अद्वैत के दिमाग में विचार आया कि जब हवा के दबाव से गुब्बारा उड़ सकता है तो बाइक क्यों नहीं चल सकती। इसके बाद वह अपने आइडिया को साकार करने में जुट गए। अद्वैत के अनुसार यह बाइक बनाने में उन्हें 13 माह लगे। इस कार्य में पिता का शौक भी उनके काफी काम आया।

महिला सुरक्षा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, थानों में बनेंगी महिला डेस्क

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. महिला सुरक्षा को लेकर देशभर के सभी थानों में महिला डेस्क बनाए जाएंगे. इन थानों के लिए गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है.

पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने के लिए महिला सहायता डेस्क बनाने का फैसला लिया गया है. इससे कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायक महिला डेस्क पर कर सकेंगी. इस डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को तैना किया जाएगा. महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. ये हेल्प डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी. इन सभी का इस्तेमाल महिलाओं को मदद करने में किया जाएगा. बता दें केंद्र का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में एक के बाद एक महिलाओं के साथ रेप और बर्बर तरीके से हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. पूरे देश में इन घटनाओं के कारण रोष व्याप्त है।

मुसीबत बनी मोदी सरकार की मुद्रा स्कीम! 17 हजार करोड़ रुपये फंसे

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा लोन योजना अब मुसीबत बनती जा रही है. दरअसल, सरकार ने सदन को बताया है कि इस योजना के तहत आवंटित 6.04 लाख करोड़ रुपये में करीब 3 फीसदी राशि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए हो गई है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया, "मार्च 2019 तक मुद्रा योजना की करीब 17,251 करोड़ रुपये की राशि एनपीए हो गई थी. यह राशि कुल वितरित रकम का 2.86 फीसदी है." अनुराग ठाकुर के मुताबिक इस योजना के तहत 6.04 लाख करोड़ रुपये वितरित की जा चुकी है. सरकार की ओर से यह जानकारी ऐसे समय में दी गई है जब हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा लोन स्कीम में कर्ज वसूली की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जाहिर की है.

आरबीआई ने जाहिर की थी चिंता

बीते दिनों एक कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने कहा, "मुद्रा योजना ने जहां एक तरफ देश के कई लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में बड़ी मदद की तो वहीं इसमें कई कर्जदारों के बीच नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए के बढ़ते स्तर को लेकर कुछ चिंता भी है." इस मामले में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बैंकों को सुझाव भी दिया था. उन्होंने कहा था कि बैंकों को इस तरह के कर्ज देते समय दस्तावेजों की जांच–परख के स्तर पर कर्ज किस्त के भुगतान की क्षमता पर भी गौर करना होगा. इसके अलावा ऐसे कर्ज का उनकी पूरी अवधि तक करीब से निगरानी करें. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की थी. यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जरूरी वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. इसके तहत लोगों को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के कर्ज बांटे जा रहे हैं।

- 6.04 लाख करोड़ में करीब 3 फीसदी राशि एनपीए
- यह राशि कुल वितरित रकम का 2.86 फीसदी है

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING			DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/10/19 TO 31/03/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		3/1/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC+DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8278.94	9676.05	10144.24	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8451.95	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	9106.83	10625.44	11158.67	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9231.95	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	10201.09	11795.93	12173.09	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10128.95	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11160.95	11266.23	*

आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत दुबारा आकलन नहीं किया जा सकता मद्रास हाईकोर्ट

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने दुबारा असेसमेंट के खिलाफ एक अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि सिर्फ नजरिये में अंतर दुबारा असेसमेंट का कोई आधार नहीं बनता. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एवं अन्य मामले में मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने यह आदेश दिया. असेसमेंट दुबारा करने का कारण यह बताया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत अनुमति नहीं देने के दावे की गणना आयकर नियम 1961 के तहत नहीं की गई थी. इस सन्दर्भ में अदालत ने आयकर अधिकारी वार्ड नंबर 16 बनाम टेकस्पान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 685 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी अधिकार को सिर्फ इस आधार पर दुबारा असेसमेंट का अधिकार नहीं है कि विचार में परिवर्तन हुआ है. 'धारा 147 में श्विश्वास करने के कारण' जैसे शब्दों के प्रयोग की व्याख्या स्कीम के अनुसार होना चाहिए क्योंकि इन शब्दों की अगर खुली व्याख्या की गई तो इससे असेसिंग अधिकारी को मनमाना अधिकार मिल जाएगा जो सिर्फ विचारों में बदलाव आने से ही उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दुबारा आकलन की प्रक्रिया शुरू कर देगा जिन पर पहले ही गौर किया जा चुका है, इस आदेश में कहा गया. वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा इस मामले में, असेसी ने कोई गलती नहीं की है. पर ऐसा लगता है कि असे. सिंग अधिकारी ने आयकर की धारा 14ए के तहत खर्च की राशि के निर्धारण में गलती की है. इस स्थिति में, राजस्व के लिए उपचार कहीं और है न कि अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिकार हासिल करके'. असेसिंग अधिकारी की विफलता का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, 'इस तरह के मामले में राजस्व का उपचार कहीं और है और न कि अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिकार हासिल करके... अथॉरिटी अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता. अगर वे अपने कानूनी कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहे तो इसका खामियाजा असेसी नहीं भुगत सकता'. 'असेसी कोई भी दावा कर सकता है, यहाँ तक कि डिसअलाउंस को लेकर गलत दावा भी कर सकता है. ..अगर आकलनकर्ता अधिकारी खर्च की राशि का निर्धारण करने में विफल रहा तो वह दुबारा आकलन करने का कारण नहीं बता सकता. इसलिए धारा 147 के तहत दुबारा आकलन के आदेश को निरस्त किया जाता है'.

प्रसाद मेडिकल कॉलेज मामला भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जज कुद्दुसी को बतौर आरोपी समन किया

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कई उच्च–स्तरीय पदाधिकारियों से सांठगांठ कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने गए एक मामले में फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरो`प में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आई एम कुद्दुसी और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन किया है। उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया ने कुद्दुसी और छह अन्य को 9 जनवरी, 2020 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कुद्दुसी के अलावा अदालत ने प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के बी पी यादव और पलाश यादव को भी तलब किया है, जो लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और कथित बिचौलिए बिस्वनाथ अग्रवाल, कथित हवाला ऑपरेटर रामदेव सारस्वत, भावना पांडे और सुधीर गिरि को भी बतौर आरोपी पेश होने को कहा है। चार्जशीट पर विचार करने, गवाहों के बयान और चार्जशीट के साथ दायर किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद मेरा विचार है कि इस अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री है। तदनुसार, मैं अपराध का संज्ञान लेता हूं, न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख के लिए अभियुक्त–1 से अभियुक्त–7 के लिए समन जारी किया। न्यायाधीश ने उन्हें 9 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने सभी सातों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बी पी यादव ने अपने कॉलेज प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर सरकार द्वारा 2017–18 और 2018–19 के लिए छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी जब यादव ने कथित रूप से उच्च–स्तरीय पदाधिकारियों से जोड़–तोड़ करके मामला सुलझाने के लिए कुद्दुसी और पांडे से संपर्क किया।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2019

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण और अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। नई दिल्ली के हॉलिडे इन होटल में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन कंस्ट्रक्शन जर्मनी के अध्यक्ष प्रोफेसर कार्ल हेंजनोएटेल ने किया। प्रोफेसर कार्ल हेंजनोएटेलको ''विजन जीरो'' दृष्टि शून्य— अवधारणाः का जनक माना जाता है। विजनजीरो, व्यावसायिक दुर्घटनाओं और काम से संबंधित बीमा. रियों के बिना दुनिया की दृष्टि है। इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता घातक और गंभीर कार्य दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों को रोकना है। 'विजन जीरो' रोकथाम का एक परिवर्तनकारी तरीका है जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के सभी स्तरों पर कल्याण के तीन आयामों को एकीकृत करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, मापें कि कौन से सिद्धांत, अर्थात, प्रतिरोध, और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिभूति संघ (आईएसएसए) ने सात स्वर्ण नियम निर्धारित किए हैं और विजन शून्य प्राप्त करने के लिए एक रूप का वर्णन किया है। चार मौलिक जीवन पर आधारित अवधारणा गैर—परक्राम्य है, मानव पतनशील हैं, सहनीय सीमाएं मानव शारीरिक द्वारा परिभाषित की जाती हैं, लोग सुरक्षित परिवहन और सुरक्षित कार्यस्थलों के हकदार हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन आईएसएसए जर्मनी, मोशपा मलेशिया, एनएससी सिंगापुर तथा कनैक्ट ओएसएच इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया गया। सम्मेलन में आये 250 से अधिक व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, वातावरण और अग्नि सुरक्षा के विशेषज्ञों ने औद्योगिक रूप से विकसित और विकासशील देशों में लागू होने वाले सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर डॉ. अवनीश सिंह ने कहा कि कहा की हमारे देश ने औद्योगिकी करणके क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। जहां एक ओर उत्पादन में वृद्धि हुई है वहीं उद्योगों में कार्यरत हमारे कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार श्रम कानूनों के सरलीकरण और युक्तीकरण के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। 13 श्रम कानूनों को समाहितकर औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संहिता का स्रजन किया गया है। इस संहिता के लागू होने के बाद हमारे असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में भी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। पिछले कुछ दशकों के दौरान हमारे देश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। मगर याद रहे की यह तेज औद्योगिक विक. ासअतीत में कई त्रासदियों को भी अपने साथ लाया है। विश्व की सबसे भयंकर भोपाल गैस त्रासदी जैसीदुर्घटनायें जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कियावह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। डॉ. सिंह ने कहा कि ने कहा कि आज जरूरत है रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के रोकथाम की, सुरक्षित कार्य वातावरण के निर्माण की, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की, जिससे की श्रमिकों कार्य करते समय किसी दुर्घटना का शिकार न बने और करते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, और उत्साहित हो कर अधिक से अधिक उत्पादन कर देश की प्रगति में

भरपूर योगदान कर सके। इसलिए आज हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को समझने की और संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया किआज जरूरत है कि विकसित और विकासशील देश एक मंच पर आकर परस्पर विचार विमर्श करें, विभिन्न तकनीक का आदान प्रदान करें जिससे कि हम सम्पूर्ण विश्व कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य स्थल प्रदान कर सके। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नीतियों और कार्यक्रमों को दुर्घटना की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने वाली संस्कृति का निर्माण करना होगा। निरीक्षण और प्रोत्साहन के विवेक पूर्ण मिश्रण से सुरक्षा अवम स्वास्थ्य के लिए जागरूक संस्कृति का स्रजन करना होगा। डॉ. सिंह ने कहा किहमारा देश श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रनिर्माण में श्रमिकों के योगदान को पहचानती है।हम जानते है हम पहचानते है कि राष्ट्र निर्माणकी प्रक्रिया में हमारे श्रमिकों की भूमिका बहुत महत्व शील है। श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। गत कुछ वर्षो मेंहमनेकई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैंहमारे उद्योगों और वहां काम करने वाले लोगों के लिए काम करने की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीके गतिशील और प्रभावी नेतृत्व में हमने श्रम कानूनों के सरलीकरण और युक्तिकरण के काम का बड़ा बीड़ा उठाया है। हमने 44 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समा. हित किया है और इन श्रम संहिताओं में से एक है औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण विषय पर। इस श्रम सं. हिता में13 श्रम कानूनों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार पहले ही इसे संसद में प्रस्तावित कर चुकी है और जल्दी ही इसे पारित कर लागू भी कर दिया जायेगा। डॉ. अवनीश सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बैठक निश्चित रूप से एक स्पष्टता प्रदान करेगी औद्योगिक समाज से व्यावसायिक बीमारियों का उन्मूलन और कार्य स्थल पर काम करने की स्थिति और वातावरण में सुधार करें में निःसंदेह मदद करेगी। उपरोक्त कार्यक्रम मेंकार्ल—हेंजनॉटेल, प्रेसीडेंट, इंटरनेशनल सोशल सेक्युरिटी असोसियेशन, जर्मनीय आमेराली अब्देलीजेपी, प्रेसीडेंट, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, सिंगापुरय डॉ. दातोकनगरा. जा रमन, प्रेसीडेंट, मोशपा, मलेशियाः ललित गबाने, महानिदेशक, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडियाय सुधीर एम बोबडे, श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकारय अक्षय झिंगा, संस्थापक, कनेक्ट ओशइंडिया, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ, सरकारी और गैर—सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अवनीश सिंह रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल डी जी एफ ए एस एल आई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया था।

पत्र लिखकर दी यूपी के राजभवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

लखनऊ। झारखंड के उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) ने यूपी राजभवन को उड़ाने की धमकी दी है। उग्रवादी संगठन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दस दिन के अंदर राज्यपाल को राजभवन छोड़कर न जाने पर राजभवन को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव राज्यपाल हेमंत राव ने धमकी भरे पत्र को गंभीरता से लेते हुए पत्र को मूल रूप में गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। गृह विभाग ने डीजीपी ओम प्रकाश सिंह, डीजी इंटेलीजेंस भावेश कुमार सिंह और एडीजी सुरक्षा दीपेश जुनेजा को पत्र भेजकर जल्द से जल्द इसकी जांच करने और बुधवार शाम तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्काल आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने को भी कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूरे प्रकरण पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मालूम हो कि तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी झारखंड का सक्रिय उग्रवादी संगठन है। मौजूदा समय में झारखंड में चुनाव चल रहा है, जहां एक चरण की पोलिंग भी हो चुकी है।

32 हजार टन प्याज सड़ गया, लोग 120 रुपये किलो खरीद रहे

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के के. के. रागेश ने राज्यसभा में प्याज की आसमान छूती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में ठीक से भंडारण के अभाव में 32 हजार टन प्याज सड़ गया और लोग 120 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज खरीदने को मजबूर है जबकि सरकार मूक दर्शक बनी है। रागेश ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भारत दुनिया मे सबसे अधिक प्याज का निर्यात करता है लेकिन आज देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज की कीमतें 120 रुपये किलो से अधिक हो गई हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समस्या हर साल नवम्बर—दिसम्बर में पैदा होती है। इस बार अक्टूबर में यह समस्या पैदा हुई और एक नवम्बर को मंत्री ने बयान दिया कि देश में प्याज का उत्पादन 30 प्रतिशत कम हुआ। मंत्री ने यह भी बताया कि 32 हजार टन प्याज गोदाम में सड़ गए। माकपा सदस्य ने कहा कि नवम्बर से दिसम्बर हो गये। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उसने हस्तक्षेप क्यों नही किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग प्याज महंगे दाम में बेचते है लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती बल्कि उनका संरक्षण करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर क्यों नहीं है और वह हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। देशभर में खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में आम आदमी पाटी '(आप) के सांसदों ने मंगलवार को प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया। आप के दो राज्यसभा सदस्यों— संजय सिंह और सुशील कुमार ने बढ़ती कीमतों के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन आपूर्ति मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए आप नेताओं ने केंद्र से सवाल किया कि प्याज आखिर क्यों इतनी डरावनी होती जा रही है, और उपभोक्ताओं को इसके लिए ऊंची कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

सम्पादकीय

मंदी की मार

सत्येन्द्र सिंह

अब खुद सरकारी आंकड़ों से जाहिर हो गया है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। लंबे समय से अर्थशास्त्री चर्चा कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। इसे लेकर कई सुझाव भी आ रहे थे। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी कुछ दिनों पहले बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और अगले चार सालों तक इसके सुधरने की कोई सूरत नजर नहीं आती। राजकोषीय घाटा बढ़ने के आंकड़े भी इस चिंता को गहराने लगे थे। मगर सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी। खुद वित्तमंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में कुछ सुस्ती जरूर आई है, पर यह मंदी का दौर नहीं है। अब खुद राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी नीचे खिसक कर साढ़े चार फीसद पर पहुंच गई है। यह पिछले छह सालों का सबसे निचला स्तर है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी जीडीपी पांच फीसद पर थी। अर्थव्यवस्था के इस स्थिति में पहुंचने की वजह विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन, कृषि, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में सुस्ती और बिजली, डीजल आदि की खपत घटना बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के इस स्तर पर पहुंच जाने से सरकार के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यह केवल विपक्षी दलों के हमलों से पार पाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके चलते अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति और कमजोर होगी। हालांकि सरकार का दावा है कि वह जल्दी ही इस स्थिति से पार पा लेगी। सरकार का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को पचास अरब डॉलर तक पहुंचाना है, पर अर्थव्यवस्था के इस स्तर पर पहुंच जाने से वह लक्ष्य बहुत दूर हो गया है। पहले ही विनिवेश की दर घट चुकी है, उसमें जीडीपी के लुढ़कने से इसके बढ़ने की संभावना काफी क्षीण हो गई है। विदेशी बैंक जीडीपी को ध्यान में रख कर ही कर्ज उपलब्ध कराते हैं, सो वहां भी कठिनाई आएगी। राजकोषीय घाटे को पाटना बड़ी चुनौती है, तिस पर जनकल्याणकारी योजनाओं को चलाए रखने के लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ेगा, जो खासा जटिल हो सकता है। सरकार पहले ही रिजर्व बैंक से अपना लाभांश तय मात्रा से अधिक निकाल चुकी है, इसलिए वहां से कुछ सहारा मिलने की गुंजाइश भी नहीं बची है। कई बार बैंक दरों में कटौती करके बाजार की सेहत सुधारने के प्रयास हो चुके हैं, पर उसका भी कोई उल्लेखनीय असर नजर नहीं आया। ऐसे में जरूरत है कि सरकार पिछली गलतियों की समीक्षा करते हुए नए सिरे से रणनीति तय करे, तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो। औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण, खनन, बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों में मंदी की वजहें साफ हैं कि लोगों के पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने खपत पर अंकुश लगा दिया है। पिछले साल से ही वाहन उत्पादन का क्षेत्र सुस्त पड़ा हुआ है। बाजार का रुख ढीला है। आम उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री पर भी काफी असर पड़ा है। इसलिए जब तक लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ती, तब तक इन क्षेत्रों की सुस्ती नहीं टूटेगी। क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन के मोर्चे पर व्यावहारिक ढंग से काम करना होगा। कृषि क्षेत्र की दुर्दशा दूर करने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत है। देखना है, वह अर्थव्यवस्था की सुस्ती तोड़ने के लिए क्या रणनीति बनाती है।

आर्थिक मोर्चे पर तुरंत असरकारी कदम उठाने होंगे...क्योंकि जनता इंतजार नहीं करती

भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों को शुक्रवार 29 नवंबर को उस समय तगड़ा झटका लगा जब केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, लम्बे समय से मंदी की मार झेलने से बेहाल भारत की अर्थव्यवस्था में और गिरावट देखने को मिली है। इन आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर में भारी गिरावट आयी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 4.5 फीसदी पहुंचा गया है। जो पिछले 6 वर्षों में किसी तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी के आंकड़ों में भारी गिरावट नजर आने के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है, केंद्र सरकार के कर्ताधर्ता एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गये हैं।

सरकार के कुछ गलत आर्थिक निर्णयों के चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मंदी के नाजुक दौर से गुजर रही है। देश में स्थिति यह हो गयी है कि भारतीय बाजार पर उसका दुष्प्रभाव अब आंकड़ों की बाजीगरी के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों देश के नीति–निर्माता स्थिति की गम्भीरता को अब भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं, वो इस हालात को या तो जानबूझकर समझने के लिए तैयार नहीं हैं या यह भी हो सकता है कि उनकी टीम में शामिल लोग अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले ठोस कारकों को पकड़ नहीं पा रहे हों। खैर अर्थव्यवस्था कितनी भी खस्ताहाल बेहाल हो, लोगों को बेशक रोजगार ना मिल रहा हो, इससे हमारे देश के चंद ताकतवर राजनेताओं पर कुछ असर नहीं पड़ता है वो अब भी लोगों को बरगला के हिन्दू–मुसलमान, मंदिर–मस्जिद में उलझा कर भीड़तंत्र का बेहूदा माहौल बनाने में व्यस्त हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो भारत जैसे विकासशील देश की तुलना बात–बात में हर मोर्चे पर असफल पाकिस्तान से करके भारतीय जनसमूह से खूब तालियां बटोरते हैं। वर्तमान में उच्च जीएसटी दरें, कृषि क्षेत्र में संकट, वेतनभोगियों के वेतन में कमी और नकदी की कमी आदि कारणों की वजह से देश को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोग में भारी मंदी के रुझान, जीडीपी विकास दर में लगातार गिरावट का सबसे प्रमुख कारण है। जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ ऑटोमोबाइल, पूंजीगत वस्तुएं, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और रियल एस्टेट आदि सहित देश के सभी प्रमुख सेक्टरों में भारी गिरावट आई है, जोकि अर्थव्यवस्था में मंदी का माहौल पैदा कर रहे हैं।

लेकिन फिर भी अपनी हठधर्मिता वाली नीति के चलते अब भी सरकार में बैठे कुछ लोग स्थिति को सामान्य बता रहे हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था की सरकार जितनी गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है, हकीकत में धरातल पर हालात सामान्य नहीं हैं। इस स्थिति के लिए वजह चाहे जो भी हो लेकिन सरकार को चाहिए कि वो तत्काल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही नीतियों की संजी. वनी बूटी की ताकतवर डोज प्रदान कर, इस गम्भीर बीमारी का उपचार कर संकटग्रस्त देशवासियों को राहत प्रदान करे क्योंकि आजकल आर्थिक स्थिति को लेकर जमीन स्तर पर जो स्थिति बनती जा रही है वो देश. हित में व आम जनमानस के हित में ठीक नहीं है। अब लोगों से उनका रोजगार छिनने लगा है जिससे आमजन को भारी दिक्कत होने लगी है, जिसके चलते लोगों को लगने लगा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल है और स्थिति उनके नियंत्रण से दिनप्रतिदिन बाहर होती जा रही है।

खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की हालत पर भाजपा सरकार के नेता भले ही कहें कि कुछ लोगों को उनकी सरकार की आलोचना करने में मजा आता है। लेकिन हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र इन दिनों बहुत संकट में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी निवेश में मंदी की हालत में सुधार के संकेत जल्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश को धन उपलब्ध करवाने वाला बैंकिंग क्षेत्र फंसे कर्ज्ज (एनपीए) की समस्या से बेहाल है। कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, बिजली और इस्पात देश के आठ महत्वपूर्ण कोर सेक्टर हैं। इन सेक्टरों का देश के औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स में लगभग 40 फीसदी का योगदान है। लेकिन वैश्विक मोर्चे पर बिगड़ती स्थितियों के बीच निजी निवेश और उपभोक्ता मांग में जबरदस्त सुस्ती के चलते भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार कम होती जा रही है। जिसका उत्पादन वृद्धि और रोजगार सृजन पर भी असर पड़ा है। आईएचएस मार्किट का इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) निचले स्तर पर है। लागत बढ़ने और डिमांड घटने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में कमी आई है। पीएमआई इंडेक्स घट रहा है। सोचने वाली बात यह है कि देश के कई क्षेत्रों में विकास की रफ्तार एकदम थम–सी गयी है। मंदी की मार के चलते कमजोर होती अर्थव्यवस्था के ये हालात खुद प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी के 'फॉइव ट्रिलियन इकॉनमी' के सपने के लिए बेहद घातक हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरह के ढर्रे पर चलती रही तो यह तय है कि मोदी का 'फॉइव ट्रिलियन इकॉनमी' का सपना जल्द पूरा नहीं होने वाला है। यह स्थिति आर्थिक रूप से देश की जनता के लिए व राजनैतिक रूप से भाजपा के लिए सही नहीं है। मंदी के यह हालात तेजी से विकास के पथ पर चलकर विकसित बनने के कतार में शामिल विकासशील भारत के लिए भी बेहद चिंताजनक है। इसलिए सरकार को मंदी की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे।

स्त्री का भय : खौफ से लगातार खुद को घिरी पाती हैं

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि हमारे देश में विकास के नारे के बीच बड़ी तादाद में महिलाएं खुद को, अमूमन हर जगह, असुरक्षित महसूस करती हैं। वे शायद ही कोई ऐसी जगह पाती हैं, जहां इस बात को लेकर आश्वस्त हों कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक घटना नहीं होगी। खासतौर पर वे यौन हिंसा की प्रकृति की घटनाओं के खौफ से लगातार खुद को घिरी पाती हैं। यों यह एक आम और त्रासद हकीकत है, जिस पर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति गौर कर सकता है, लेकिन अक्सर इस सामाजिक पहलू पर होने वाले अध्ययनों की रिपोर्टों में यही तथ्य उभर कर सामने आता है। इसी क्रम में सामाजिक उद्यम 'सेफ्टीपिन', सरकारी संगठन कोरिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और एक स्वयंसेवी संगठन एशिया फाउंडेशन के संयुक्त अध्ययन में एक बार फिर यही विडंबना दर्ज हुई है कि देश के कई शहरों में महिलाएं लगातार खुद को भयग्रस्त पाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर और जोधपुर में करीब नब्बे फीसद महिलाएं सुनसान और खाली इलाकों की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। खासकर अविवाहित महिलाओं और छात्राओं को यौन हिंसा का खतरा ज्यादा है। हालत यह है कि करीब दो तिहाई महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की खाली या कम लोगों को ले जाती गाड़ियों में सफर करने से डरती हैं या सुरक्षा इंतजामों की कमी की वजह से वे लगातार एक आशंका से घिरी रहती हैं। लगभग छियासी फीसद महिलाएं आसपास शराब या दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री से असुरक्षित महसूस करती हैं। आखिरकार ये कमियां किसकी लापरवाही से मौजूद हैं? विचित्र है कि महिलाओं को घूरने, पीछा करने, फब्तियां कसने और गलत तरीके से छूने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन्हें यौन उत्पीड़न के मामलों में गंभीर प्रकृति का नहीं माना जाता है। जबकि शुरुआती तौर पर घटने वाली ऐसी ही घटनाओं की अनदेखी और उनसे निपटने में बरती जाने वाली लापरवाही के बाद अपराधी प्रवृत्ति वालों का मनोबल बढ़ता है। यह बलात्कार या यौन हिंसा की बड़ी वजह है। इसके अलावा, घर की दहलीज से बाहर घटने वाली ऐसी घटनाओं के समांतर महिलाओं के लिए घर की चारदिवारी भी कितनी सुरक्षित है, यह सभी जानते हैं। इस मसले पर भी अनेक अध्ययनों में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चियों के यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में आरोपी उनका कोई परिचित, यहां तक कि संबंधी भी होता है। हाल ही में हैदराबाद की घटना के अलावा ऐसी तमाम घटनाओं ने देश भर में लोगों के भीतर आक्रोश पैदा किया है। दूसरी ओर, सरकारें अक्सर यह दावा करती रहती हैं कि कानून–व्यवस्था और सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के मोर्चे पर कोई कमी नहीं की जाती है। लेकिन अगर यह दावा सच है तो ऐसा क्यों है कि सौ में नब्बे महिलाओं को लगभग हर वक्त खौफ से गुजरना पड़ता है। सवाल है कि जब पितृसत्तात्मक मानसिकता से लैस पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा अपनी यौन कुंठा की वजह से कभी भी यौन हिंसा या उत्पीड़न करने को तैयार रहता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें? निश्चित रूप से सख्त कानूनी व्यवस्था और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने का एक सबसे जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन जब तक सामाजिक विकास नीतियों और उनमें समाज को पितृसत्तात्मक मूल्यों से मुक्ति के सूत्रों को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, तब तक स्त्री के लिए अपने आसपास की दुनिया खौफ ही पैदा करेगी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष नागरिक समाचार पत्र
गाजियाबाद / नोएडा
05 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2019

दो दिवसीय वार्षिकोत्सव 'भारत भ्रमणः एक यात्रा विभिन्न राज्यों की' का समापन भागीरथ संस्थान में हुआ

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

गाजियाबाद। भागीरथ सेवा संस्थान द्वारा संजयनगर, गाजियाबाद में संचालित भागीरथ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दो दिवसीय वार्षिकोत्सव 'भारत भ्रमणः एक यात्रा विभिन्न राज्यों की' का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, उनके रहन–सहन, खान–पान, कला, एवं संस्कृति को बहुत ही आकर्षक ढंग से दर्शाया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा ग्यारहवीं तक के छात्र–छात्राओं व शिक्षक तथा शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आये विशिष्ट अतिथियों को तुलसी के पौधे देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए तमाम अतिथि गणों ने बारी बारी से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, केरल, असम और गोवा आदि राज्यों का भ्रमण किया। स्कूल के कमरों को राज्यों के रूप में ढला देखकर सभी अतिथि–गण मंत्रमुग्ध हो उठे। इस कार्यक्रम में सबसे आकर्षक और ज्ञानवर्धक केंद्र भागीरथ सेवा संस्थान समूह रहा, जिन्होंने भागीरथ पब्लिक स्कूल के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार

किया था और इसमें उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स यानी भूमि रहित कृषि को जीवंत रूप में दर्शाया था। स्कूल के निदेशक अमिताभ सुकुल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर शिक्षकों द्वारा 6 महीने से कार्य किया जा रहा है और 2 महीने से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह की विशेष कृषि से 90: पानी की बचत होगी और सामान्य खेती के मुकाबले इस प्रणाली से कृषि में जमीन का सिर्फ चौथाई भाग ही इस्तेमाल होगा। इसी समूह ने कबाड़ में जा चुके कागजों को रि–साइकिल कर कार्डबोर्ड, सजावटी चीजें और फोटो फ्रेम तैयार किए और स्कूल की साइंस लैब, मैथ्स लैब, अटल टिंकरिंग लैब के मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया जिसको देखकर अतिथिगण काफी प्रभावित हुए।

अतिथिगणों को तमाम राज्यों के भ्रमण के दौरान अलग–अलग राज्यों की विशेषताओं, वहां की संस्कृति, कला और रहन–सहन के बारे में भी जानकारी दी गयी। उसके बाद अतिथियों ने विभिन्न राज्यों के व्यंजन का लुत्फ लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। राज्यों को एक कमरे के भीतर इतनी सुंदरता और सहजता से समेटने और वहां की विशेषताओं को भव्यता के साथ प्रदर्शित करने की कला से अतिथिगण काफी खुश हुए। आज समापन समारोह के दिन डॉ चंद्रमणि शर्मा, आईईएस, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलोपमेन्ट नार्थ इस्टर्न रीजन, संचार रत्न एम के सेठ, सीजीएम, एएलटीसी, रविन्द्र नाथ पांडेय, पूर्व एडिशनल कमिश्नर, ट्रेड टैक्स, ग्रीन मैन डॉ. विजयपाल बघेल और डॉ जीडी शर्मा, पूर्व प्राचार्य एल आर कॉलेज ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। सभी ने बच्चों की सराहना की और कहा कि बिना सफर किये ही उन्होंने देशाटन का लाभ उठा लिया और बिना घूमें के राज्यों की सैर कर ली। संस्था के निदेशक अनादि शुक्ल ने कार्यक्रम के अंत में तमाम शिक्षक / शिक्षिकाओं व छात्र / छात्रों को भारत भ्रमण के लिए की मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद किया। स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति रावत ने कहा कि 'भारत भ्रमण' की ये थीम अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण पेश करती है और भारत के भविष्य बच्चों को देश के अन्य राज्यों के प्रति प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है।

सेवा समाप्ति के विरोध में कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार

गाजियाबाद। वाणिज्य कर विभाग के तीन कर्मचारी की सेवा समाप्ति के विरोध में कर्मचारियों ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया। उनका कहना है कि ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक राकेश वर्मा द्वारा मृतक आश्रित में नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की जानबूझकर सेवा समाप्त की गई है। कर्मचारियों ने कर्मचारियों की बहाली न होने तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। वाणिज्य कर विभाग कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक राकेश वर्मा द्वारा एक के बाद एक तीन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। जब तक कर्मचारियों की सेवा बहाल नहीं होती है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कर्मचारियों पर लगातार कार्यवाही के दौरान पक्ष तक नहीं सुना जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि उच्च अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच कर कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाले ज्वाइंट कमिश्नर के विरुद्ध भी कार्यवाही करें। कार्य बहिष्कार में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, मलेरिया विभाग यूनियन, आशु. लिपिक संघ, अमीन संघ और सेवक संघ भी शामिल रहे। इस मौके पर हरिकिशन, देव व्रत चौधरी, बृजेश वर्मा, शैलेन्द्र, चंद्रपाल, नरेंद्र, नितिन विजेता मित्तल, योगेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

बच्चों की निर्मम हत्या करने से पहले कारोबारी ने किया था ये काम, ताकि उन्हें न हो दर्द

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

गाजियाबाद। इंदिरापुरम के कृष्णा अपरा सफायर सोसायटी में मंगलवार सुबह चार शव बरामद किए गए। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष, करीब 15 साल के एक बेटे और एक लड़की शामिल है। जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।अब कुल मिलाकर पांच लोगों की मौत हो चुकी है। घर में एक पालतू खरगोश था। वह भी मरा पाया गया है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में राकेश वर्मा नाम के एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। खुदकुशी करने वाले परिवार के मुखिया का नाम गुलशन वासुदेवा है। उनकी पत्नी का नाम परवीन वासुदेवा है। बेटे का नाम रितिक (15 वर्ष) , बेटी का नाम कृतिका उर्फ किट्टू है। दूसरी महिला का नाम संजना है। संजना कारोबार में प्रबंधक के तौर पर काम करती थी। पुलिस इस घटना को आर्थिक तंगी से जोड़कर देख रही है। पुलिस मान रही है कि गुलशन वासुदेवा ने पहले दोनों बच्चों को मारा। इसके बाद पत्नी और संजना के साथ आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इंदिरापुरम की कृष्णा अपरा सफायर सोसायटी में यह पूरा परिवार आठवीं मंजिल पर रहता था। घर में पालतू खरगोश को भी खुदकुशी करने से पहले मार दिया गया। दिल्ली के झिलमिल में रहने वाले मृतक के परिजन यहां पहुंच गए हैं। खुद को भाई बताने वाले हरीश

का कहना है कि संजना कारोबार में प्रबंधक के तौर पर काम करती थी। हरीश का कहना है कि गुलशन जींस का कारोबार करता था। कारोबार में दो करोड़ का नुकसान हुआ था। साढू ने धोखाधड़ी की है। साढू का नाम राकेश वर्मा है। उसका नाम सुसाइड नोट में लिखा गया है। सुसाइड नोट में सभी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित राकेश वर्मा साहिबाबाद के ही शालीमार गार्डन का रहने वाला है। पुलिस टीम उसका एड्रेस पता कर रही है। जल्द ही उसके घर छापेमारी कर गिरफ्तारी की जा सकती है। मृतक रितिक डीएवी श्रेष्ठ विहार दिल्ली में 9वीं का छात्र था। बेटी कृतिका के दोस्तों ने बताया कि उसने कल शाम को ही अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम डिएक्टिवेट कर दिया था। उसका, उसकी मां का मोबाइल नम्बर भी बंद था। आज सुबह कॉल किया तो इंस्पेक्टर इंदिरापुरम ने फोन उठाया और घटना की जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला संजना गुलशन वासुदेवा के कारोबार में प्रबंधक का काम देखती थी। यह जानकारी मृतकों के परिजनों की तरफ से दी गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस संबंध में नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि कोलकाता में इनकी जींस जाती थी। वहां से भी भुगतान नहीं आया था। आत्महत्या करने वाले परिवार ने मरने से पहले घर की दीवार पर पांच – पांच सौ के कुछ नोट और चेक चस्पा कर दिया। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि इन पैसों से पूरे परिवार का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उनकी आखिरी इच्छा है कि सभी शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए।

घोटाले का आरोपी यादव सिंह साढ़े तीन साल बाद जेल से रिहा

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

गाजियाबाद। नोएडा प्राधिकरण टेंडर घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह साढ़े तीन साल बाद सोमवार को डासना जेल से रिहा हो गया। यादव सिंह को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने पांच–पांच लाख रुपये के मुचलके व दो जमानती पेश करने के बाद यादव सिंह का रिहाई परवाना जारी कर दिया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद डासना जिला कारागार से दोपहर एक बजे उसे रिहा कर दिया गया।

गौरतलब है कि 2001 से 2007 केबीच नोएडा प्राधिकरण में अंडर ग्राउंड केबल डालने का करोड़ों का कार्य कराया गया था। उक्त कार्य में गड़बड़ी व नियमों को दरकिनार करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। शासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई।

इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच की थी। जांच में सामने आया कि कार्य पूरा होने के बाद नजदीकियों व चहेती कंपनियों को कार्य का टेंडर दिया गया। सीबीआई ने प्राधिकरण के तत्कालीन पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह सहित 11 लोग व 3 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यादव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मार्च 2016 में यादव सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तभी से यादव सिंह जेल में था।

यादव सिंह को जमानत पर रिहा कराने के लिए उसके अधिवक्ताओं ने सीबीआई कोर्ट में याचिका डाली, जहां खारिज हो गई। इसकेबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई। तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ यादव सिंह की जमानत स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के यादव सिंह के अधिवक्ताओं ने सीबीआई कोर्ट में दाखिल किया।

जमानत मिलने की जानकारी लगने पर यादव सिंह केपरिजन, रिश्तेदार व जानकारी काफी संख्या में सीबीआई कोर्ट पहुंच गए। सीबीआई कोर्ट ने 5–5 लाख रुपये केबांड व दो जमानती पेश करने के आदेश दिए। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने रिहाई परवाना जारी कर दिया। परवाना पहुंचने केबाद डासना जेल प्रशासन ने यादव सिंह को रिहा कर दिया। जेल के बाहर यादव सिंह की पत्नी, बेटा व बेटी पहले ही पहुंच गए थे। जेल से बाहर होते ही यादव सिंह सभी से गले मिला और रवाना हो गया।

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
उद्योग–जगत
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2019

पीएफ भुगतान अटकने पर ऋण देगी सरकार

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

लखनऊ। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी (डीएचएफएल) में भविष्य निधि का पैसा फंसने के बाद से परेशान बिजलीकर्मियों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने पीएफ भुगतान की गारंटी ले ली है। शनिवार देर रात संबंधित आदेश जारी कर दिया गया। अब डीएचएफएल में अटका पीएफ का पैसा अगर न आ पाया और पावर कॉरपोरेशन भी भुगतान करने में सक्षम न रहा तो सरकार उसे ब्याज रहित ऋण देकर बिजलीकर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

डीएचएफएल में भविष्य निधि का 2268 करोड़ रुपया फंसने के बाद से बिजलीकर्मी आंदोलित थे। वह आशंकित थे कि यदि कंपनी से पैसे की वापसी न हो सकी तो हजारों करोड़ रुपये का घाटा झेल रहा पावर कॉरपोरेशन कैसे भुगतान करेगा? कर्मचारियों की मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और सरकार भुगतान की गारंटी ले। पिछले दिनों योगी ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विकल्पों पर विचार–विमर्श किया। शनिवार को दिन में ऊर्जा मंत्री ने संबंधित बिजली कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता की। वार्ता में बनी सहमति के बाद प्रमुख सचिव ऊर्जा अरोवद कुमार की ओर से देर रात गारंटी संबंधी शासनादेश भी जारी कर दिया गया। शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा डीएचएफएल से रकम वापसी के लिए सभी विधिक कदम उठाए जाएंगे और धनराशि वापस प्राप्त होने पर उसका नियमानुसार निवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

साथ ही कहा है कि डीएचएफएल में निवेशित धनराशि की वापसी में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके कारण कार्मिकों के पीएफ भुगतान में ट्रस्ट अपने आप को अक्षम पाता है तो पावर कॉरपोरेशन द्वारा अपने स्नोतों से पैसा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में कॉरपोरेशन भी वांछित धनराशि ट्रस्ट को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाता तो राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि पावर कॉरपोरेशन को ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी, ताकि भुगतान में कोई दिक्कत न आने पाए।

दोषियों के खिलाफ हो रही विधिक कार्रवाई : शासनादेश में स्पष्ट किया है कि उप्र पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट और उप्र पावर कॉरपोरेशन लि. सीपीएफ ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत ट्रस्ट की धनराशि का अनियमित निवेश किया गया है। ऐसे में एफआइआर दर्ज कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूरे मामले की जहां आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है, वहीं सरकार ने सीबीआइ जांच की भी सिफारिश केंद्र सरकार से कर रखी है।

लखनऊ : बिजलीकर्मियों की भविष्य निधि के मामले में सरकार ने पूरे धैर्य के साथ कदम बढ़ाए। मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठकों में पैसा वापसी के विकल्प तलाशने के साथ ही कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल का भी संदेश दिया गया। उच्च स्तर से लिए जा चुके निर्णय पर ऊर्जा मंत्री ने पहले आंदोलित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर मन टटोला, फिर सहमति बनने पर अवकाश के दिन भी सचिवालय खुलवाकर गारंटी का शासनादेश जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 19 दिनों से आंदोलन चल रहा था। संघर्ष समिति ने 28 नवंबर से बेमियादी कार्य बहिष्कार का एलान कर रखा था, जबकि एसोसिएशन ने दो घंटे अतिरिक्त कार्य शुरू कर दिया था। इनकी मांग थी कि सरकार पीएफ वापसी के लिए गारंटी दे। इस पर शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और प्रमुख सचिव ऊर्जा अरोवद कुमार ने दोनों संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग–अलग बैठक की। इसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। वहीं, ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी लिखित आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा आदेश जारी करते ही आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। चूंकि देर रात शासनादेश जारी कर दिया गया। इसलिए एसोसिएशन का आंदोलन भी वापस हो गया है।

बैठकों में इन बिंदुओं पर भी सहमति : पीएनबीएचएफएल और एलआइसी–एचएफएल में जमा धनराशि की वापसी की कार्यवाही की गई है। यह पैसा ट्रस्ट के खाते में अगले दो–तीन दिन में वापस आ जाएगा, जिसका नियमानुसार निवेश किया जाएगा। जब तक ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मियों के ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किया जाता, तब तक उनके अगले बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। पीएफ घोटाले में शामिल सभी जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर के हों।

रोजगार की बाधा बने श्रम कानून

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

नई दिल्ली। रोजगार की बाधा बने श्रम कानून में वियतनाम जाना हुआ। वहां हनोई से हा लोंग बे के मार्ग में फैक्टियों की लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ी। मेरे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये ह्यकैननह्ण की विनिर्माण इकाइयां हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि सैमसंग के 60 प्रतिशत फोन वियतनाम में बनते हैं। गत वर्ष वियतनाम से होने वाले कुल निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सैमसंग के उत्पादों की थी। यह वाकई एक बड़ी पहेली है कि युद्ध की विभीषिका झेलने वाला एक देश कैसे कुछ दशकों में अपनी कायापलट करने में सक्षम हुआ। गरीबी घटाने के मामले में उसका रिकॉर्ड चीन से भी बेहतर है। 1990 में वियतनाम की 60 प्रतिशत आबादी गरीब थी, जबकि अब मात्र 10 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गए हैं। वियतनाम प्रवास के दौरान मैंने जाना कि यह सफलता लचीली श्रम नीतियों और उपयुक्त बुनियादी ढांचे की शानदार जुगलबंदी से ही संभव हुई। भारत में मोदी सरकार ने जबसे सत्ता संभाली है तबसे वह उत्पादकता बढ़ाने के भरसक प्रयास में जुटी है। इस दिशा में आइबीसी, जीएसटी और मौद्रिक नीति समिति के रूप में सरकार ने कुछ बड़े सुधार किए हैं। फिर भी काफी कुछ किया जाना शेष है। जैसे कि भूमि एवं श्रम सुधार। भूमि सुधार एक भावनात्मक मुद्दा है। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने भूमि सुधारों की दिशा में तमाम प्रयास किए। इसके लिए नौ बार अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन राज्यसभा की स्वीकृति न मिल पाने के कारण वह सुधार अधर में रह गया। हाल में संसद ने एक नई श्रम संहिता को स्वीकृति दी है। इसमें श्रम नीति के तमाम प्रावधानों को सुसंगत किया है। मसलन भविष्य निधि के फायदों का दायरा अस्थाई–अनुबंधित कर्मचारियों तक बढ़ाया गया है। श्रमिकों की भागीदारी को और उदार बनाने के लिए समन्वित प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्रम सुधार भी बहुत भावनात्मक मुद्दा है। यह राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मसला है। श्रम सुधारों को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर यह बात दोहराई है कि इसमें कोई भी ह्यहायर एंड फायरह्ण नीति नहीं अपनाई जाएगी। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के मुकाबले भारत में सस्ती श्रम दरों के बावजूद श्रम की कुल लागत कहीं अधिक है।

श्रम उत्पादकता देश में विनिर्माण के अपेक्षित विस्तार में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी मोर्चे पर निवेश और उपक्रमों का आकार बढ़ाने की दरकार है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी और निवेशक या तो अपने सीमित दायरे एवं लचर श्रम उत्पादकता या फिर अन्य बाजारों की कमी के साथ टिके हुए हैं। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। भारत की तिमाही जीडीपी वृद्धि दर गोता लगाते हुए पांच प्रतिशत के दायरे में आ गई है। स्वाभाविक रूप से इसका सीधा सरोकार लोगों की आर्थिक दशा–दिशा से है। भारत में पहली बार समग्र मांग में गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे बढ़ती बेरोजगारी को वजह माना जा रहा है जो लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित कर रही है। इस बीच अमेरिका और चीन, जापान और कोरिया के बीच जारी व्यापार युद्ध एवं आमजन से जुड़े मुद्दों पर टकराव से विनिर्माण केंद्रों से पलायन बढ़ा है।

विशेषकर चीन से तमाम कंपनियां किनारा कर कहीं और विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। ऐसे में यह भारत के लिहाज से अनुकूल अवसर है कि वह इन इकाइयों को अपने यहां स्थापित कराने के प्रयास करे। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम कड़ी के रूप में उभरेगा। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यह दुनिया के कई देशों विशेषकर एशियाई प्रतिस्पर्धी मुल्कों की तुलना में खासा कम हो गया है। देर–सबेर भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि जब तक विनिर्माण इकाइयां भारत का रुख नहीं करतीं, तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

शीघ्र लागू होगी व्यापारी पेंशन योजना

–उद्योग विहार (दिसंबर 2019)–

लखनऊ। प्रदेश में व्यापारी पेंशन योजना शीघ्र लागू की जाएगी। इसके लिए उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड दिसंबर में जिला, तहसील व बड़े व्यापार केंद्रों में कैंप लगाएगा। यह कैंप सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। योजना के तहत व्यापारियों को तीन हजार से छह हजार रुपये के बीच पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लाभ पाने के लिए व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रदेश सरकार खाद्यान्न पर मंडी शुल्क घटाने जा रही है। साथ ही जिन वस्तुओं से प्रदूषण बढ़ता है, उन पर टैक्स बढ़ाने जा रही है। उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि व्यापारी पेंशन योजना में 18 से 42 वर्ष की उम्र के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इसमें उन्हें 150 रुपये से लेकर 600 रुपये वार्षिक तक अंशदान देना होगा। उन्होंने बताया कि एक जनवरी से सभी मंडियों में ऑनलाइन गेट पास ही जारी किए जाएंगे। बोर्ड की गुरुवार को बैठक होने जा रही है जिसमें खाद्यान्न पर मंडी शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि सबसे अधिक जीएसटी जमा करने वाले टॉप टेन व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश स्तर के साथ ही जिला और मंडल स्तर पर भी टॉप टेन

व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों के तीन–तीन सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को भी व्यापारी कल्याण बोर्ड सम्मानित करेगा।

1. पंजीकृत व्यापारियों को 3000 से 6000 रुपये मिलेगी पेंशन
2. योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य
3. वाणिज्य कर के सहायक व संयुक्त आयुक्त के निलंबन की संस्तुति

व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने वाणिज्य कर विभाग वाराणसी में तैनात सहायक आयुक्त प्रमोद कुमार विश्वकर्मा व संयुक्त आयुक्त अजीत कुमार सिंह को निलंबित करने की संस्तुति की है। उन्होंने बताया कि दोनों अफसरों के खिलाफ वाराणसी के व्यापारियों ने उत्पीड़न की कई शिकायतें थीं। साक्ष्यों की जांच के बाद दोनों अफसरों को निलंबित करने की संस्तुति कर फाइल शासन भेज दी गई है।

कब्जा लेने के बाद भी अधिग्रहण समाप्त क्या ये विधायी मंशा थी सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में पूछा

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता की धारा 24 की व्याख्या पर इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखी। गुरुवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा, कब्जा लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन विकास किया गया है। तो फिर अधिग्रहण किया जाना चाहिए? 1000 एकड़ की एक परियोजना चल सकती है? अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? क्या निर्माण की यह शरारत कानून में मान्य है? 1000 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। एक सरंचना, एक पुल बन रहा है। आप 1 एकड़ के मालिक हैं। आपको भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन कब्जा कर लिया गया है। इसलिए पूरे पुल को बनना चाहिए? दरअसल बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया था कि 24 (2) में बेंचमार्क संकेत भौतिक कब्जा है या भुगतान नहीं किए गए हैं। वे पूरे खंड 4 अधिसूचना, भूमि के पूरे टुकड़े को योग्यता नहीं देते हैं, लेकिन उस विशिष्ट क्षेत्र के रूप में... सीमित चूक एक संभावना है। फिर, गुरुवार को एक अन्य वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भौतिक कब्जे और मुआवजे के सूचकांक व्यक्तिवादी हैं और उनकी दावेदार से दावेदार के आधार पर जांच करनी होगी– ष्क्या आपको भुगतान किया गया है? या क्या आपका भौतिक कब्जा लिया गया है?श 24 (2) का केंद्र है ... इसलिए मुझे योग्यता दें, अगर मैं

परियोजना के केंद्र में हूं तो भी यह चूक जाएगा। यदि मैं पुल के केंद्र में हूं तो कृपया अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करें! उत्तरदाताओं की ओर से एक सीमित चूक के सुझाव देने के लिए कि भूमि मालिक को भुगतान नहीं किया गया है, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने टिप्पणी की, तो पुल का हिस्सा खत्म कर दिया जाना चाहिए?

न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा, अगर वहां एक पुल है, तो आपके कब्जे को कैसे बहाल किया जाएगा? कुछ व्यवहारिक होना चाहिए! न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, जहां भौतिक कब्जा लिया गया है, वह विधायी इरादा नहीं हो सकता कि अधिग्रहण में चूक हो सकती है! उच्च मुआवजे के लिए कुछ प्रावधान हो सकते हैं। यदि हम व्यक्तिगत आधार पर जाते हैं, तो क्या कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो एक चूक होगी! कभी भी कार्यात्मक नहीं होगा! चेक करने का कोई अवसर नहीं होगा (यदि मुआवजा जमा किया गया है), न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा। 24 (1) (बी) एक स्व–निहित कोड है। यदि हम प्रोविजो को इसके अलग लें, (1) (बी) के साथ लेते हैं, तो हम (1) (बी) को नष्ट कर देंगे। यदि अवार्ड दिसंबर, 2013 में बनाया गया है, फिर कब जमा किया जाना चाहिए?... (2) इसका अपवाद है। प्रोविजो है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जहां बहुमत को भुगतान नहीं किया गया है, हर किसी को एक उच्च्च मुआवजा का लाभ मिलता है! न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की।

यदि हम प्रोविजो के साथ (1) (बी) पढ़ते हैं, तो हम (1) (ए) स्थिति में आते हैं ... इसके अलावा, यदि हमें श्याश और श्के रूप में पढ़ना है, तो केवल प्रोविजो फिट बैठता है, लेकिन अगर हम इसे (1) (बी) के बाद रखने के लिए उठाते हैं, तो भी जहां कब्जा लिया गया है, उन्हें उच्च्च मुआवजा का लाभ नहीं मिलेगा, न्यायाधीश ने जारी रखा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह एक सुलझा हुआ प्रस्ताव है कि जब तक कोई गैरबराबरी नहीं है तब तक प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा सकता है या प्रावधान स्पष्ट नहीं रहता है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क को दोहराया कि धारा 24 में उप–खंड (2) के बाद उप–खंड (1) (बी) एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। जहां तक घ्अदालत का सवाल है वो ये रेखा खींच सकती है, यह देखते हुए कि उप–धारा (2) खुले तौर पर उन मामलों में परिकल्पना करती है, जो उन मामलों में हैं जहां अवार्ड 1 जनवरी, 2009 से पहले किए गए थे।

गुरुवार को प्रस्तुत किया गया किजमींदारों के लिए इससे भी बुरा यह है कि अधिग्रहण अधिक पूर्वकाल हो जाता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ष्तो सालों पहले के अधिग्रहण को भी चुनौती दी जा सकती है? यहां तक कि जहां उन्होंने मुआवजे से इनकार कर दिया था, उन्हें अपने इनकार का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए? अवार्ड पारित कर दिया गया है। कब्जा कर लिया गया है। आपने मुआवजे को स्वीकार नहीं किया है। आप लड़ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके हैं। क्या ये (2), लंबित कार्यवाही या निष्कर्ष पर भी लागू होता है? जज ने पूछा। जब यह जवाब दिया गया कि यह निष्कर्ष कार्यवाही पर भी लागू होगा, तो न्यायाधीश ने टिप्पणी की, तो पूरे बुनियादी ढांचे को जाना चाहिए? ये सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी।

दिवालिया होने या डूबने पर बैंकों में जमा केवल एक लाख रुपया ही सुरक्षित: आरबीआई

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। अगर बैंक किसी तरह से दिवालिया होती है तो फिर ग्राहकों के खाते में चाहे जितनी भी रकम जमा हो, उनको केवल एक लाख रुपये ही मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी ईकाई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) ने एक आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के सेक्शन 16(1) के अनुसार देश में कार्यरत कोई भी बैंक दिवालिया होता है या फिर डूबता है तो फिर खाताधारक को केवल एक लाख रुपया ही मिलेगा। इतने रुपये की राशि को ही बीमित किया हुआ है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है। हम आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लिखे नियम को भी यहां दे रहे हैं। मान लीजिए आपका किसी बैंक में बचत के साथ ही अन्य प्रकार के खाते हैं और उसमें मूलधन व ब्याज मिलाकर के 15 लाख रुपये का बैलेंस है और किसी वजह से बैंक दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने की वजह से वह जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस बैंक को कम से कम एक लाख रुपये आपको देने ही होंगे।

हालांकि एक लाख से ज्यादा जितनी भी रकम होगी (14 लाख रुपये), उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मतलब साफ है कि 14 लाख रुपये आपको मिलेंगे नहीं। पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के बाद भी लोगों को यही चिंता सता रही थी। आरबीआई का यह नियम सभी बैंकों पर लागू है। इनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है।

आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, एनएसए के नेतृत्व वाले पैनल ने सौंपी रिपोर्ट

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इससे दिसंबर अंत तक सरकार को एकीकृत सैन्य सलाहकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने के लिए एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्चस्तरीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रूपरेखा तैयार की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि सरकार अगले दो सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सैन्य सुधार करते हुए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि भारत की तीनों सेना के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में करगिल युद्ध के बाद से ही सीडीएस नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सीडीएस सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा।

प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति को एक सक्षम ढांचे को अंतिम रूप देने और सीडीएस के लिए सटीक जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। नाइक ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि समिति को जिम्मेदारियों को निर्धारित करने और अंतिम रूप देने के लिए गठित किया गया था और इसमें शामिल सभी अन्य मुद्दों के अलावा सीडीएस के लिए एक सक्षम ढांचे का सुझाव दिया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना ने पहले ही शीर्ष पद के लिए अपने

वरिष्ठतम कमांडरों के नामों की सिफारिश रक्षा मंत्रालय से कर दी है। फिलहाल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। जनरल रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो सरकार उन्हें देश के पहले सीडीएस के रूप में सामने लाएगी।

सीडीएस के पास तीनों सेवाओं के अध्यक्षों की तरह चार स्टार होंगे। उसकी जिम्मेदारी भविष्य की भारतीय सैन्य जरूरतों के लिए हार्डवेयर को प्राथमिकता देने, नए थिएटर कमांड को त्रि–सेवाओं की संपत्ति आवंटित करना और संरचनाओं के लिए कार्यों को नामित करना होगा। नया सीडीएस भारतीय सैन्य कूटनीति के केंद्र में होगा। हालांकि, प्रोटोकॉल की सूची में, सीडीएस सेवा प्रमुखों की तुलना में अधिक होगा।

सीडीएस का मुख्य्य कार्य तीन सेवाओं के बीच संयुक्तता सुनिश्चित करना होगा जिसमें कुछ थिएटर कमांड स्थापित करने के साथ–साथ अपने कार्यों के तालमेल के लिए सेवाओं के बीच सैन्य संपत्ति आवंटित करने के लिए काम करने की शक्तियां शामिल होंगी। वर्तमान में, तीन सेवाएं एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) के ढांचे के तहत अपने काम का समन्वय करती हैं। हालांकि, सीडीएस की नियुक्ति के बाद, आईडीएस को नए ढांचे में शामिल किया जाएगा। सीडीएस प्रमुख रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकल–बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। 1999 में कारगिल युद्ध के मद्देनजर देश की सुरक्षा प्रणाली में अंतराल की जांच के लिए गठित एक उच्च–स्तरीय समिति ने रक्षा मंत्री के लिए एक सूत्रीय सैन्य सलाहकार के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का आह्वान किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों का विश्लेषण करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स नरेश चंद्र ने 2012 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के पद का गठित करने की सिफारिश की थी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष नागरिक समाचार पत्र
देश—विदेश
08 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2019

अविवाहित रहने के लिए मजबूर करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई निगम को दिया 63 लाख 26 हजार का मुआवजा दिया

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई निगम को झटका देते हुए निर्देश दिया है कि वह एक 26 साल की उम्र के युवक को ब्याज सहित 63,26000 रुपये मुआवजा दे। यह मुआवजा एक दुर्घटना के कारण इस युवक के शारीरिक रूप से अक्षम होने, वैवाहिक सुख से वंचित होने व अन्य शिकायतों के लिए दिया जाएगा। अदालत ने माना कि दुर्घटनाएं मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का एक स्रोत हैं और यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस अनूठे आदेश को पारित करते हुए, न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरण और न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने कहा एक योग्य सामान्य इंसान के रूप में वह शादी कर लेता और वैवाहिक जीवन का आनंद लेता। जैसा कि पहले ही बताया गया है, तीसरे नंबर के प्रतिवादी को उसकी इच्छा के खिलाफ कुंवारा रहने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि कोई भी महिला पैरापलेजिया (नीचे के अंगों का पक्षाघात) से पीड़ित व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इस कारण वह वैवाहिक सुख और आनंद से वंचित रहेगा। जबरन संयम और कुछ नहीं बल्कि तीसरे प्रतिवादी के मानवीय अधिकार का उल्लंघन है। वहीं जबरन संयम इस तरह के आदमी के स्वास्थ्य के नकारात्मक परिणामों से अलावा और कुछ नहीं है।

यह था मामला इस मामले में प्रतिवादी युवक पर एक बिजली का खंभा गिर गया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। जिसके कारण वह 100 प्रतिशत विकलांग हो गया। कथित तौर पर निगम की लापरवाही के कारण यह पोल गिरा था क्योंकि निगम के कर्मचारियों ने पोल को ठीक से वेल्ड नहीं किया था। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के पक्ष में एक आदेश पारित किया था,जिसमें उसे कुल पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई। अपील में, अपीलार्थी—निगम ने दावा किया कि दुर्घटना उस समय हुई जब एक ठेकेदार पोल को हटाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा, उन्होंने दलील दी कि दुर्घटना प्रतिवादी की अपनी लापरवाही के कारण हुई है जो असावधान था और फोन पर बात कर रहा था। ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा सावधान रहने की हिदायत दिए जाने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। निगम की दलीलों से असहमत होते हुए अदालत ने कहा कि निगम को चाहिए था कि वह पूरी सड़क पर साइन बोर्ड लगाकर राहगीरों को सचेत करती। निगम को उसकी स्वयं की विफलता का दायित्व प्रतिवादी पर ड़ालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि, सार्वजनिक स्थान पर किया जाने वाला कोई भी कार्य, विशेष रूप से जब लोग वहां से गुजर रहे हों, उचित चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद ही उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। जवाबी हलफनामे में अपीलकर्ता ने कहीं भी यह नहीं बताया कि उन्होंने चेतावनी बोर्ड लगाकर सावधानी बरती और जनता को उस स्थान पर होने वाले काम के बारे में सूचित किया था।

पाकिस्तान: विमान में तीन यात्रियों को पड़ा दिल का दौरा, एक मुसाफिर की मौत

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जेद्दा से इस्लामाबाद आ रहे एक विमान तब अफरातफरी मच गई जब एक दंपती समेत तीन यात्रियों को दिल का दौरा पड़ गया। इनमें एक महिला यात्री भी शामिल थी। इनमें से एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि विवाहित युगल को बचा लिया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पीआइए की विमान संख्या पीके—742 में लगभग 225 यात्री सवार थे। मौके की नजाकत को देखकर तीन यात्रियों के सीने में दर्द की शिकायत करने पर विमान को कराची हवाईअड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक यात्रियों को अस्पताल ले जाने के लिए नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) की एक एम्बुलेंस डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ कराची हवाईअड्डे पर पहुंची। हालांकि विमान के उतरने से पहले ही महाला बीबी की मौत हो चुकी थी। अन्य दो बीमार यात्री बच गए। एयरपोर्ट प्रशासन ने बीमार को अस्पताल में भर्ती कराया।

चीन ने बनाया अपना सूरज, असली वाले से 10 गुना ज्यादा दमदार!

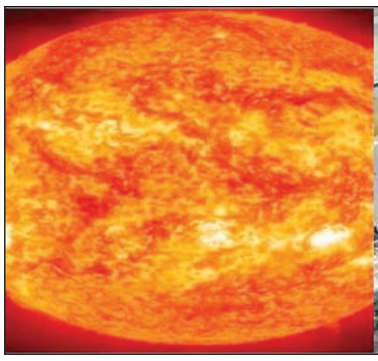

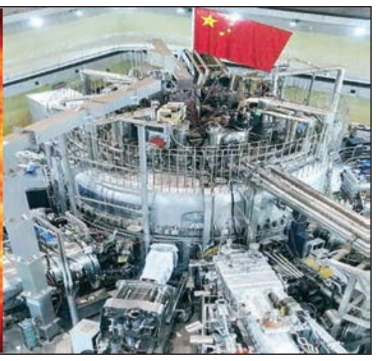

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। चीन ने विज्ञान और तकनीक के मामले में अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देशों को लगातार चुनौती दे रहा है. इसी दिशा में उसने एक और कदम बढ़ाया है. ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने कृतिम सूरज बनाया है. ऐसे दावे किये जा रहे हैं कि यह कृतिम सूर्य असली वाले सूरज की तरह ही शुद्ध ऊर्जा देगा. इसे न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा. चीनी वैज्ञानिक 2020 तक इसे पूरा कर लेंगे. चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज की एक रिपोर्ट की मानें, तो कृत्रिम सूरज एचएल 2एम अगले साल यानी 2020 तक काम करना शुरू कर देगा और आनेवाले कुछ दिनों में इसके इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा. चीन की मानें, तो कृत्रिम सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से 10 गुना ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा. और तो और, दावा यह भी है कि यह कृतिम सूर्य 10 सूर्यों के बराबर ऊर्जा देगा. चीन का यह कृत्रिम सूरज नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के साथ मिलकर बना रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसके शुरू होने के बाद रिएक्टर सूरज की तुलना में 12 गुना अधिक तापमान तक पहुंचने में सक्षम होगा. कृत्रिम सूरज लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा. आपको बता दें कि असली सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है. परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रक्रिया में एक टन गर्मी उत्पन्न होती है.गौरतलब है कि पृथ्वी पर परमाणु संयंत्रों में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन का उपयोग ही किया जाता है. यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके उत्पन्न होती है. परमाणु संलयन वास्तव में सूर्य पर होता है और इसी कंसेप्ट पर चीन का एचएल 2एम बना है.

भारतीय मूल की सांसद कमला हैरिस नहीं लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव, बंद किया चुनावी अभियान

❑ **हैरिस ने अपने डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से ही 70 लाख डॉलर से अधिक की राशि जुटा ली है।**

—उद्योग विहार (दिसंबर 2019)—

नई दिल्ली। कैलिफॉर्निया की डेमोक्रेटिक सांसद कमला हैरिस ने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। 55 वर्षीय भारतीय मूल की कमला हैरिस ने बुधवार को इस बात की घोषणा की कि वह अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर रही हैं। बता दें कि पिछले कुछ समय से हैरिस की पोलिंग लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जा रही थी।

कमला हैरिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मैं अपने समर्थकों को गहरे अफसोस और पूरी कृतज्ञता के साथ माफी मांगते हुए बताना चाहती हूं कि मैं आज अपना चुनावी अभियान खत्म कर रही हूं। लेकिन मैं आपसे साफ कर देना चाहती हूं कि लोगों को न्याय और सभी को न्याय जिसके लिए यह अभियान है, मैं उसके लिए प्रतिदिन लड़ूंगी।

कमला हैरिस ने अगले साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था, तब प्रचार अभियान शुरू करने से पहले ही उन्हें इस शीर्ष पद के लिए फ्रंट रनर के रूप में देखा जा रहा था। हैरिस ने अपने गृहनगर ऑकलैंड (कैलिफॉर्निया) में समर्थकों की भारी भीड़ के बीच इस साल जनवरी में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। हेल्थकेयर जैसे मुद्दों पर सुस्पष्ट विजन के अभाव के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा।

2.3 करोड़ डॉलर जुटाए

आपको बता दें कि कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की दावेदारी की इस साल जनवरी में घोषणा करने के बाद से अब तक 2.3 करोड़ डॉलर जुटा लिए थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हैरिस के अभियान ने 2019 की दूसरी तिमाही में दो लाख 79 हजार से अधिक लोगों से करीब 1.2 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। उन्होंने इस अभियान के तहत 2.3 करोड़ डॉलर एकत्रित किए हैं। दूसरी तिमाही के दौरान हैरिस के अभियान में लगभग डेढ़ लाख नए दानकर्ताओं ने योगदान दिया है। अभियान की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, हैरिस ने अपने डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से ही 70 लाख डॉलर से अधिक की राशि जुटा ली है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी—9, सैक्टर—3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.—243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120—4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह